माँ शाकुम्भरी विश्वविद्यालय, सहारनपुर

(पुवाँरका, सहारनपुर, उ0प्र0, पिन–247120)

Website- msuniversity.ac.in E-mail ID – nss@msuniversity.ac.in

पत्रांक :230 /12/ एन.एस.एस./एम.एस.यू./2026–27 दिनांक: 16 /11/2026

सेवा में,

01. प्राचार्य/प्राचार्या,
समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय/संस्थान,
माँ शाकुम्भरी विश्वविद्यालय सहारनपुर।
02. शैक्षणिक समन्वयक, माँ शाकुम्भरी विश्वविद्यालय परिसर, सहारनपुर।

विषय– सड़क सुरक्षा पखवाड़ा (दिनांक 16 नवम्बर, 2026 से दिनांक 30 नवम्बर, 2026 तक) मनाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषयक संयुक्त सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा अनुभाग –3, लखनऊ के पत्र सं0 1232/सत्तर–3–2026–1892163 दिनांक 13.11.2026 (प्रति संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से अवगत कराना है कि प्रदेश में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं एवं उनमें होने वाली मृत्यु की संख्या में कमी लाने के उद्देश्य से शासन द्वारा दिनांक 16 नवम्बर 2026 से 30 नवम्बर 2026 तक सड़क सुरक्षा पखवाड़ा मनाए जाने का निर्णय लिया गया है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि अपने विश्वविद्यालय परिसर एवं महाविद्यालय में संलग्न सामान्य निर्देशों एवं दिवसवार कार्यक्रम के अनुसार सड़क सुरक्षा पखवाड़े का आयोजन सुनिश्चित करें। साथ ही विद्यार्थियों एवं जनसामान्य को यातायात एवं सड़क सुरक्षा नियमों के प्रति जागरूक एवं संवेदनशील बनाने हेतु आवश्यक गतिविधियाँ आयोजित कर प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार–प्रसार भी सुनिश्चित करें। साथ ही आयोजित गतिविधियों की समेकित आख्या विश्वविद्यालय के राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यालय की इस ई–मेल nss@msuniversity.ac.in पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, जिससे शासन को समयबद्ध सूचना प्रेषित की जा सके।

संलग्नकः– शासन द्वारा प्रेषित पत्र की छायाप्रति।

भवदीय

16.11.26

(संजीव कुमार)
सहायक कुलसचिव
राष्ट्रीय सेवा योजना

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

01. कुलपति कार्यालय को मा0 कुलपति जी के संज्ञानार्थ।
02. संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग–3, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
03. निदेशक, उच्च शिक्षा,उ0प्र0, प्रयागराज।
04. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, सहारनपुर।
05. विशेष कार्याधिकारी एवं राज्य सम्पर्क अधिकारी, उच्च शिक्षा (राष्ट्रीय सेवा योजना कोष्ठक) विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
06. कुलसचिव कार्यालय को कुलसचिव जी के सूचनार्थ।
07. कार्यक्रम समन्वयक, रा0से0यो0 को इस आशय से प्रेषित कि उक्त पत्र के सम्बन्ध में समेकित आख्या कुलसचिव कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
08. विश्वविद्यालय वेबसाइट प्रभारी।
09. गार्ड फाईल।

सहायक कुलसचिव
राष्ट्रीय सेवा योजना

Scanned with OKEN Scanner

145/NSS
16/11/26

महत्वपूर्ण/शीर्ष प्राथमिकता
संख्या- 1232 /सत्तर-3-2026-1892163

प्रेषक,

शकील अहमद सिद्दीकी,
संयुक्त सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **निदेशक,**
उच्च शिक्षा,
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

2. **कुलसचिव,**
समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय,
उत्तर प्रदेश।

3. **समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी,**
उ०प्र०।

4. **विशेष कार्याधिकारी एवं राज्य सम्पर्क अधिकारी,**
राष्ट्रीय सेवा योजना कोष्ठक,
उ०प्र० शासन।

उच्च शिक्षा अनुभाग-3

लखनऊ दिनांक: 13 नवम्बर, 2026

विषय: सड़क सुरक्षा पखवाड़ा (दिनांक 16 नवम्बर, 2026 से दिनांक 30 नवम्बर, 2026 तक) मनाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक परिवहन अनुभाग–3, उ०प्र० शासन के पत्र संख्या–1685/तीस–3–2026 (1074524), दिनांक 05.11.2026 (छायाप्रति संलग्न) के माध्यम से अवगत कराया गया है कि प्रदेश में बढ़ती हुई सड़क दुर्घटनाओं एवं मृतकों की संख्या एक चिन्तनीय विषय है, जिसमें कमी लाया जाना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में सम्मिलित है।

समस्त स्टेकहोल्डर विभागों के समेकित प्रयास से जनसामान्य को यातायात एवं सड़क सुरक्षा नियमों के प्रति जागरूक एवं संवेदनशील बनाते हुए सड़क दुर्घटनाओं एवं मृतकों की संख्या में अपेक्षित कमी लाई जा सकती है।

उक्त के क्रम में प्रदेश स्तर पर दिनांक 16 नवम्बर, 2026 से दिनांक 30 नवम्बर, 2026 तक सड़क सुरक्षा पखवाड़ा मनाए जाने का निर्णय लिया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपर्युक्तानुसार जनसामान्य को यातायात एवं सड़क सुरक्षा नियमों के प्रति जागरूक एवं संवेदनशील बनाए जाने के प्रयोजनार्थ "सड़क सुरक्षा पखवाड़ा" के आयोजन हेतु संलग्न सामान्य निर्देशों एवं दिवसवार कार्ययोजना के अनुसार आवश्यक कार्यवाही कराते हुए प्रिन्ट व इलेक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार भी सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

Digitally signed by SHAKIL AHMAD SIDDIQUI
Date: 13.11.2026 15:56:13

(शकील अहमद सिद्दीकी)
संयुक्त सचिव।

Scanned with OKEN Scanner

ई मेल

महत्वपूर्ण/ शीर्ष प्राथमिकता

संख्या 1685/तीस-3-2026 (1074524)

प्रेषक,

एस0पी0 गोयल
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

VS/OPRS

06/11/26
(अमित कुमार घोष)
अपर मुख्य सचिव
उच्च शिक्षा विभाग,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1 **अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव**
गृह, लोक निर्माण; चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण; चिकित्सा शिक्षा; सूचना; नगर विकास एवं शहरी नियोजन; पंचायती राज; संस्कृति; आबकारी; बेसिक शिक्षा; माध्यमिक शिक्षा; उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

2 **मुख्य कार्यपालक अधिकारी**, यूपीडा/ यीडा/ उपशा, उत्तर प्रदेश (उ0प्र0)।

3 **प्रबन्ध निदेशक**, उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम, लखनऊ।

4 **परिवहन आयुक्त**, उत्तर प्रदेश।

5 **क्षेत्रीय अधिकारी (पूर्वी/ पश्चिमी)**, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एन0एच0ए0आई0), उत्तर प्रदेश।

4371/V-S(OPR)/26
JS (SA)

06/11/2026
(ओम प्रकाश राय)
विशेष सचिव,
उच्च शिक्षा विभाग
उत्तर प्रदेश शासन।

परिवहन अनुभाग-3 **लखनऊ : दिनांक : 05 नवंबर, 2006**

विषय- सड़क सुरक्षा पखवाड़ा (दिनांक 16 नवम्बर, 2026 से दिनांक 30 नवम्बर, 2026 तक) मनाया जाना।

महोदया/ महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्रदेश में बढ़ती हुई सड़क दुर्घटनाओं एवं मृतकों की संख्या एक चिन्तनीय विषय है, जिसमें कमी लाया जाना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में सम्मिलित है।

आप सहमत होंगे कि समस्त स्टेकहोल्डर विभागों के समेकित प्रयास से जनसामान्य को यातायात एवं सड़क सुरक्षा नियमों के प्रति जागरूक एवं संवेदनशील बनाते हुए सड़क दुर्घटनाओं एवं मृतकों की संख्या में अपेक्षित कमी लाई जा सकती है।

उक्त के क्रम में प्रदेश स्तर पर दिनांक 16 नवम्बर, 2026 से दिनांक 30 नवम्बर, 2026 तक सड़क सुरक्षा पखवाड़ा मनाए जाने का निर्णय लिया गया है।

उपर्युक्त के इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपर्युक्तानुसार लिए गए निर्णय के अनुक्रम में समस्त स्टेकहोल्डर विभागों के समेकित प्रयास से जनसामान्य को यातायात एवं सड़क सुरक्षा नियमों के प्रति जागरूक एवं संवेदनशील बनाए जाने के प्रयोजनार्थ ''सड़क सुरक्षा पखवाड़ा'' के आयोजन हेतु संलग्न सामान्य निर्देशों एवं दिवसवार

30/11/26 (D)
10/11/26

File No. 30-3099/58/2020-परिवहन अनुभाग-3 परिवहन विभाग (Computer No. 1074524)
Generated during exercise by भान बहादुर सिंह, RO(GBS)-TD, मनीत्य अधिकारी, परिवहन विभाग on 06/11/2026 10:43 AM

SO-3
12.11.2026

12.11.2026

Scanned with OKEN Scanner

कार्ययोजना के अनुसार आवश्यक कार्यवाही कराते हुए प्रिन्ट व इलैक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से इसका व्यापक प्रचार-प्रसार भी सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोक्त (ई मेल से प्रेषित।)

भवदीय,

(एस0पी0 गोयल)

मुख्य सचिव।

संख्या एवं दिनांक यथोक्त।

प्रतिलिपि: संलग्नक सहित निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

(1) सचिव, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार।
(2) पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0।
(3) समस्त मण्डलायुक्त/ जिलाधिकारी, उ0प्र0।
(4) समस्त पुलिस आयुक्त/ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/ पुलिस अधीक्षक, उ0प्र0।
(5) अपर परिवहन आयुक्त (सड़क सुरक्षा), उ0प्र0।
(6) गार्ड बुक।

संलग्नक-यथोक्त (ई मेल से प्रेषित।)

आज्ञा से,

Digitally signed by
AMRIT ABHIJAT
Date: 05-11-2026 19:08:43

(अमृत अभिजात)
अपर मुख्य सचिव

(ডাঃ ইন্দ্রকান্ত দাস)
সহকারী অধ্যাপক
দন্তচিকিৎসা বিভাগ
শিলচর মেডিকেল কলেজ

File No. 30-3099/58/2020-परिवहन अनुभाग-3-परिवहन विभाग (Computer No. 1074524)
Generated from eOffice by लाल बहादुर सिंह, ROI(GBS)-TD, समीक्षा अधिकारी परिवहन विभाग on 05/11/2026 10:43 AM

Scanned with OKEN Scanner

पत्र संख्या- 1685 /तीस-3-2026, दिनांक 05 नवम्बर, 2026 का संलग्नक

सड़क सुरक्षा पखवाड़ा (दिनांक 16-11-2026 से दिनांक 30-11-2026 तक) के आयोजन हेतु सामान्य निर्देश

1. सड़क सुरक्षा पखवाड़े के अंतर्गत युवाओं की अधिकतम सहभागिता सुनिश्चित की जाए। इस हेतु सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाले व्यक्तियों, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, स्वयंसेवी संस्थाओं (NGOs) एवं अन्य प्रभावशाली व्यक्तियों के माध्यम से व्यापक जन-जागरूकता अभियान संचालित किया जाए तथा युवाओं को सड़क सुरक्षा संबंधी गतिविधियों में सक्रिय रूप से सहभागी बनाया जाए।
2. आयोजित पखवाड़े के प्रत्येक दिवस में समस्त विभागों के कार्यालय परिसर में बिना हेल्मेट/सीटबेल्ट लगाये आने वाले समस्त कार्मिकों को सार्वजनिक रूप से सचेत किया जाए तथा इस हेतु कार्यालय परिसर में चेतावनी सूचक बोर्ड/बैनर भी लगाया जाए एवं पुनरावृति की स्थिति में उस दिवस में कार्मिकों का प्रवेश निषिद्ध करते हुए उन्हें अनुपस्थित माना जाए।
3. सड़क सुरक्षा पखवाड़े के प्रत्येक दिन सभी विद्यालयों में एसेम्बली/प्रार्थना के उपरान्त छात्रों को सड़क सुरक्षा की जानकारी दिया जाना एवं सड़क सुरक्षा शपथ ग्रहण कराया जाना तथा समस्त विद्यालय/महाविद्यालय परिसर में प्रवेश के समय रोड सेफ्टी क्लब के माध्यम से बिना लाइसेंस एवं बिना हेल्मेट के विद्यार्थियों/अभिभावकों की जांच करते हुए उनको सड़क सुरक्षा नियमों के प्रति जागरूक किया जाए।
4. समस्त एक्सप्रेस-वे ऑथारिटी तथा एन०एच०ए०आई०/लो०नि०वि० (एन०एच०) द्वारा पखवाड़े के प्रत्येक दिवस में एक्सप्रेस-वे व राष्ट्रीय राजमार्ग (एन०एच०) के किनारे अवैध रूप से/खराब दशा में खड़े हुए वाहनों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने संबंधी कार्यवाही हेतु प्रभावी पेट्रोलिंग किया जाना सुनिश्चित करें। एस०एच० तथा अन्य श्रेणी के मार्गों पर उपरोक्तानुसार पेट्रोलिंग की कार्यवाही पुलिस विभाग द्वारा की जाए।
5. आयोजित पखवाड़े के प्रत्येक दिवस में पब्लिक एड्रेस सिस्टम प्रयोग करने वाले विभागों द्वारा पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से सड़क सुरक्षा का प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जाए।
6. प्रिन्ट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तथा सोशल मीडिया के माध्यम से जागरूकता कार्यक्रम चलाये जाए एवं महत्वपूर्ण स्थलों पर जागरूकता संबंधित प्रचार-प्रसार हेतु होर्डिंग्स लगाए जाए।
7. जिला/मण्डलीय/संसद सदस्य सड़क सुरक्षा समिति की बैठकें पखवाड़े के दौरान आयोजित की जाए, जिनमें विभागीय अधिकारियों के अतिरिक्त मा0 जनप्रतिनिधियों तथा सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य करने वाले स्वयंसेवी संगठनों की भी सहभागिता सुनिश्चित की जायें।
8. जीरो फैटेलिटी डिस्ट्रिक्ट कार्यक्रम के अन्तर्गत चयनित 20 जनपदों में क्रिटिकल स्पॉट्स व क्रिटिकल कॉरिडोर का भ्रमण करते हुये पायी गई कमियों में सुधार हेतु कार्यवाही की जाए।

Scanned with OKEN Scanner

सड़क सुरक्षा पखवाड़ा (दिनांक 16-11-2026 से दिनांक 30-11-2026 तक) की दिवसवार कार्ययोजना

दिवस	परिवहन विभाग	परिवहन निगम	पुलिस विभाग	समस्त निर्माण एजेंसियां (लोढ़न-लो0नि0वि0)	शिक्षा विभाग	चिकित्सा-स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग
प्रथम दिवस	• उद्घाटन समारोह का आयोजन किया जाए जिसमें सड़क सुरक्षा संबंधी प्रचार वाहन को मुख्य अतिथि द्वारा फ्लैग ऑफ कराते हुए पखवाड़े का शुभारम्भ कराया जाए। • समारोह में समस्त जनपदों में सड़क दुर्घटना पीड़ित परिजनों को उनके अनुभवों को साझा किये जाने हेतु आमंत्रित किया जाए तथा आम-जन को सड़क सुरक्षा एवं यातायात नियमों के प्रति संवेदीकृत किये जाने के दृष्टिगत उनके अनुभवों की वीडियो क्लिप भी बनवाई जाए। • समारोह के समापन में सड़क सुरक्षा शपथ दिलायी जाए। • युवाओं द्वारा सड़क सुरक्षा जागरूकता हेतु बाइक रैली/बाइकोथॉन/मैराथन/हॉफ मैराथन आदि का आयोजन किया जाए।					
द्वितीय दिवस	1- स्टंट ड्राइविंग/ ओवरस्पीडिंग के विरुद्ध प्रभावी प्रवर्तन कार्यवाही की जाए। 2-समस्त स्कूली वाहनों की फिटनेस की जांच करायी जाए तथा क्षमता से अधिक बच्चों को ले जाने वाले स्कूली वाहनों के संचालन के विरुद्ध कार्यवाही की जाए।	सड़क सुरक्षा के दृष्टिगत बसों में स्थापित पब्लिक एड्रेस सिस्टम द्वारा सड़क सुरक्षा सम्बन्धी प्रचार-प्रसार किया जाए।	1-स्टंट ड्राइविंग/ ओवर स्पीडिंग के विरुद्ध प्रभावी प्रवर्तन कार्यवाही की जाए। 2-होम गार्ड, पी.आर.डी., एन.सी.सी., एन.एस.एस. और सिविल डिफेन्स के स्वयंसेवकों को प्रशिक्षित करते हुए उनका इस्तेमाल ट्रैफिक को स्मूथ करने	1- समस्त सड़क स्वामित्व वाले विभाग/एजेंसी द्वारा समस्त अधिकारी/ कर्मचारियों के साथ सड़क सुरक्षा गोष्ठी का आयोजन कर सड़क सुरक्षा शपथ दिलाई जाये। 2- समस्त सड़क निर्माण एजेंसियों द्वारा अपने अधीन मार्गों पर सड़क सुरक्षा संबंधी कमियों के चिह्नीकरण हेतु विशेष अभियान	मास्टर ट्रेनर के माध्यम से जनपद के बेसिक/ माध्यमिक/ उच्च शिक्षा विभाग के शिक्षकों को सड़क सुरक्षा एवं यातायात नियमों के प्रति प्रशिक्षित किये जाए एवं सड़क सुरक्षा शपथ ग्रहण करायी जाए।	1- जनपद में मेडिकल कॉलेजों के अधीन लेवल-2 ट्रॉमा सेन्टरों एवं हाईवे के किनारे स्थित राजकीय चिकित्सालयों में इमरजेंसी केयर की सुविधा सुनिश्चित की जाए। ट्रॉमा सेन्टरों की उपलब्धता की समीक्षा की जाए एवं उनमें उपलब्ध मानव संसाधन एवं उपकरण की मानकों के सापेक्ष गैप एनालिसिस किया जाए।

Scanned with OKEN Scanner

दिवस	परिवहन विभाग	परिवहन निगम	पुलिस विभाग	समस्त निर्माण एजेंसियां (नोडल-लो0नि0वि0)	शिक्षा विभाग	चिकित्सा-स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग
			में किया जाए।	प्रारम्भ किया जाए तथा चिन्हित कमियों के निराकरण हेतु कार्ययोजना तैयार कर कार्यवाही की जाए।		2- एमरजेंसी रिस्पॉन्स हेतु एस0ओ0पी0 विकसित किया जाए एवं इमरजेंसी रिस्पॉन्स कमेटी का गठन किया जाए।
तृतीय दिवस	1- वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग तथा रील बनाने वालो के विरूद्ध प्रभावी प्रवर्तन कार्यवाही की जाए। 2-अनधिकृत रूप से संचालित डबल डेकर बसों/डग्गामार वाहनों के संचालन पर रोक लगायी जाए तथा अन्य प्रान्तो की संचालित अन धिकृत बसों को प्रदेश की सीमा में प्रवेश	1- सभी बस चालकों का सामान्य स्वास्थ्य एवं नेत्र परीक्षण राजकीय चिकित्सालयों में कराया जाए। 2- 300 किमी0 से अधिक दूरी की यात्रा के लिए बस में दो चालक की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु कार्यवाही की जाए।	1- वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग तथा रील बनाने वालो के विरूद्ध प्रभावी प्रवर्तन कार्यवाही की जाए। 2- iRAD/eDAR मोबाइल एप के संबध में समस्त जनपद District Roll Out Manager के साथ समन्वय स्थापित	समस्त राष्ट्रीय राजमार्गों एवं एक्सप्रेस-वे पर स्थित ट्रॉमा केयर सेंटरों के नाम, दूरी एवं पहुँच मार्ग संबंधी सूचना QR कोड के माध्यम से टोल प्लाजा पर प्रदर्शित कराने हेतु डिस्प्ले बोर्ड स्थापित किये जाने की कार्यवाही की जाए। 2- दुर्घटना संभावित जंक्शनों एवं तिराहों/चौराहों का निरीक्षण कर	1- सभी स्कूली वाहनों के चालकों का सामान्य स्वास्थ्य एवं नेत्र परीक्षण राजकीय चिकित्सालयों में कराया जाए। 2- जनपदों में प्रशिक्षित स्काउट एण्ड गाइड स्वयंसेवी के माध्यम से शिक्षण संस्थानों में छात्रों को जागरूक किया जाए।	1- सभी स्कूली वाहनों एवं व्यावसायिक वाहन चालकों की स्वास्थ्य जांच कार्ड के अनुसार सामान्य स्वास्थ्य एवं नेत्र परीक्षण राजकीय चिकित्सालयों में कराया जाए। 2- सभी एन0एच0 एवं एक्सप्रेस-वे के किनारे स्थित ट्रॉमा केन्द्रों के नाम, दूरी व पहुंच मार्ग की सूचना टोल प्लाजा पर क्यूआर कोड के माध्यम से डिस्प्ले बोर्ड पर उपलब्ध कराये जाने की

Scanned with OKEN Scanner

दिवस	परिवहन विभाग	परिवहन निगम	पुलिस विभाग	समस्त निर्माण एजेंसियां (लोडल-लो0नि0वि0)	शिक्षा विभाग	चिकित्सा-स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग
	करते ही जीरो प्वाइन्ट पर रोका जाए तथा कोई बस बिना वैध परमिट तथा वैध फिटनेस के संचालित न हों, सुनिश्चित किया जाए।		करते हुए लम्बित सड़क दुर्घटनाओं के विवरण को एप पर फीड किया जाए।	आवश्यकतानुसार स्पीड कॉमिंग मेजर्स यथा- साइनबोर्ड, स्टॉप लाइन, जेब्रा क्रॉसिंग एवं रिफ्लेक्टर आदि की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।		कार्यवाही संबंधित सड़क निर्माण एजेन्सी/विभाग के सहयोग से सघनतापूर्वक करायी जाए।
चतुर्थ दिवस	1- परिवहन एवं पुलिस अधिकारियों द्वारा स्कूल/कॉलेज में युवाओं को सुरक्षित वाहन चलाने हेतु जागरूक किया जाए। 2- जनपदों में अवैध बस स्टैण्ड, टैक्सी स्टैण्ड एवं ई-रिक्शा स्टैण्ड को चिन्हित करते हुए उन्हें हटाने की कार्यवाही की जाए।	परिवहन निगम की समस्त बसों/अनुबन्धित बसों में रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप/बैक लाइट /फॉग लाइट के मानक अनुरूप लगे होने/ कियाशीलता सुनिश्चित की जाए।	1- परिवहन एवं पुलिस अधिकारियों द्वारा स्कूल/कॉलेज में युवाओं को सुरक्षित वाहन चलाने हेतु जागरूक किया जाए। 2- जनपदों में अवैध बस स्टैण्ड, टैक्सी स्टैण्ड एवं ई-रिक्शा स्टैण्ड को चिन्हित करते हुए उन्हें हटाने	समस्त राष्ट्रीय राजमार्गों, राज्य राजमार्गों एवं एक्सप्रेस-वे पर क्षतिग्रस्त रोड मार्किंग, कैट्स-आई, रोड स्टड्स एवं डेलीनेटर का निरीक्षण कर आवश्यक सुधार कराया जाए।	सोशल मीडिया के माध्यम से बेसिक माध्यमिक एवं उच्च शिक्षण संस्थानों द्वारा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किये जाए।	पी0एम0 राहत (कैशलेस उपचार) योजना के जनपद स्तर कियान्वयन हेतु मोर्थ द्वारा तय किये गये बेस्ट प्रैक्टिसेस अपनाये जाते एवं राह-वीर योजना के सम्बन्ध में राजकीय चिकित्सालयों एवं मेडिकल कॉलेजों के मेडिकल एवं पैरा मेडिकल स्टाफ को जागरूक किया जाए एवं राह-वीरों के

Scanned with OKEN Scanner

दिवस	परिवहन विभाग	परिवहन निगम	पुलिस विभाग	समस्त निर्माण एजेंसियां (लोडल-लो0नि0वि0)	शिक्षा विभाग	चिकित्सा-स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग
			की कार्यवाही की जाए।			चिन्हित किये जाने की कार्यवाही की जाए।
पाँचवा दिवस	1- वाहन चलाते समय हेल्मेट/सीट बेल्ट का प्रयोग न करने वालो (पीछे बैठी सवारी सहित) के विरूद्ध प्रभावी प्रवर्तन कार्यवाही की जाए। 2- स्टंट ड्राइविंग/ ओवर स्पीडिंग के विरूद्ध प्रभावी प्रवर्तन कार्यवाही की जाए।	परिवहन निगम के बस चालकों/ परिचालकों को महिला सुरक्षा के प्रति संवेदीकृत करने एवं बसों, बस डिपो, बस स्टेशनों की सामान्य स्वच्छता हेतु जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जाए।	1- वाहन चलाते समय हेल्मेट/सीट बेल्ट का प्रयोग न करने वालो (पीछे बैठी सवारी सहित) के विरूद्ध प्रभावी प्रवर्तन कार्यवाही की जाए। 2- स्टंट ड्राइविंग/ ओवर स्पीडिंग के विरूद्ध प्रभावी प्रवर्तन कार्यवाही की जाए।	दुर्घटना संभावित जंक्शनों एवं तिराहों/चौराहों का निरीक्षण कर आवश्यकतानुसार स्पीड कॉमिंग मेजर्स यथा- साइनबोर्ड, स्टॉप लाइन, जेब्रा क्रॉसिंग एवं रिफ्लेक्टर आदि की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।	माध्यमिक एवं उच्च शिक्षण संस्थानों में रोड सेफ्टी क्लबों/एन0 एस0एस0 छात्रों के माध्यम से मलिन बस्ती एवं अभिगृहित ग्रामों में जाकर जनसामान्य को जागरूक किया जाए। 2- सडक सुरक्षा विषय पर भाषण व क्विज प्रतियोगिता का आयोजन कराया जाना।	सरकारी चिकित्सालयों/ मेडिकल कॉलेजों में ट्रॉमा केयर सुविधाएं/डॉक्टर या न्यूरो सर्जन उपलब्ध न हो तो उपयुक्त प्राइवेट चिकित्सालयों/ प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों को इम्पैनेल किये जाने की कार्यवाही की जाए।
छठा दिवस	1- मॉडीफाइड साइलेन्सर/ हूटर/प्रेशर हॉर्न का प्रयोग करने वालों के	परिवहन निगम की अनुबन्धित बसों की फिटनेस की जांच किया जाए।	मॉडीफाइड साइलेन्सर/ हूटर/प्रेशर हॉर्न का प्रयोग करने वालों के	समस्त मार्गों का निरीक्षण कर कमरतोड़ स्पीड ब्रेकर को हटाया जाये तथा	स्कूली बच्चों के सुरक्षित आवागमन हेतु प्रदेश के समस्त ऐसे विद्यालयों,	1- ए0एल0एस0 एम्बुलेंस की संख्या बढ़ाये जाने की कार्यवाही की जाए।

Scanned with OKEN Scanner

दिवस	परिवहन विभाग	परिवहन निगम	पुलिस विभाग	समस्त निर्माण एजेंसियां (नोडल-लो0नि0वि0)	शिक्षा विभाग	चिकित्सा-स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग
	विस्तृ प्रभावी प्रवर्तन कार्यवाही की जाए। 2- iRAD/eDAR मोबाइल एप के संबंध में समस्त जनपद District Roll Out Manager के साथ समन्वय स्थापित करते हुए लम्बित एम0वी0आई0 प्रकरणों को पूर्ण किया जाए।		विस्तृ प्रभावी प्रवर्तन कार्यवाही की जाए। 2- शीशों पर काली फिल्म लगे वाहनों के विस्तृ प्रवर्तन कार्यवाही।	आवश्यकतानुसार टैबल टॉप स्पीडब्रेकर का निर्माण किया जाये एवं मार्गों पर क्षतिग्रस्त हो गये रम्बल स्ट्रिप, रोड मार्किंग आदि की पुर्नस्थापना की कार्यवाही की जाये।	(बेसिक एवं माध्यमिक) जिनके स्वामित्व में स्कूली यान पंजीकृत हो अथवा जिन स्कूलों में निजी बसो में वाहन अनुबंधित हो उनमें विद्यालय परिवहन सुरक्षा समिति की बैठक का आयोजन करा लिया जाये और बैठकों का कार्यवृत जिला स्तरीय विद्यालय सुरक्षा समिति के सदस्य (जिला विद्यालय निरीक्षक/बेसिक शिक्षक अधिकारी) को प्राप्त कराया जाये	2- मा0 सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के अनुसार 108 एम्बुलेंस एवं ए0एल0एस0 एम्बुलेंसेस के ई0एम0टी0 का प्रशिक्षण NCAHP (National Commission for Allied and Healthcare Profession) की गाइडलाइन पर कराये जाने हेतु तथा कार्यशैली का नेशनल एम्बुलेंस कोड के मानकों के अनुरूप जनपद स्तर पर निरीक्षण किये जाने हेतु अग्रेतर कार्यवाही की जाये। इस कार्य हेतु एम्बुलेंस कर्मियों को मास्टर ट्रेनर के तौर पर तात्कालिक रूप से प्रशिक्षित किये जाने में के0जी0एम0यू0 और एस0जी0

Scanned with OKEN Scanner

दिवस	परिवहन विभाग	परिवहन निगम	पुलिस विभाग	समस्त निर्माण एजेंसियां (नोडल-लो0नि0वि0)	शिक्षा विभाग	चिकित्सा-स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग
						पी0जी0आई0/ निकटस्थ मेडिकल कॉलेज की सहायता ली जाए।
सातवां दिवस	1- दुपहिया वाहन पर तीन सवारी वालों के विरूद्ध प्रभावी प्रवर्तन कार्यवाही करते हुये जागरूक किया जाए। 2- बिना HSRP के वाहन चलाने वालों के विरूद्ध प्रभावी प्रवर्तन कार्यवाही की जाए।	परिवहन निगम के चालकों एवं परिचालकों की वर्दी में उपस्थिति कराकर उनके मध्य सड़क सुरक्षा से संबंधित विषयों पर क्विज कम्पटीशन कराया जाना तथा परिवहन निगम के चालकों द्वारा उनके चालन के विशेष अनुभवों को साझा किया जाए।	1- दुपहिया वाहन पर तीन सवारी वालों के विरूद्ध प्रभावी प्रवर्तन कार्यवाही करते हुये जागरूक किया जाए। 2- बिना HSRP के वाहन चलाने वालों के विरूद्ध प्रभावी प्रवर्तन कार्यवाही की जाए।	वर्ष 2026 में चिह्नित नवीन ब्लैक स्पॉट्स का स्थलीय सत्यापन कर संबंधित सड़क स्वामित्व वाले विभाग/कार्यदायी संस्था का निर्धारण किया जाए तथा विश्वकर्मा ऐप पर उनका विवरण अंकित कराया जाए।	सभी स्कूली वाहनों के चालकों का सामान्य स्वास्थ्य एवं नेत्र परीक्षण राजकीय चिकित्सालयों में कराया जाए।	1- पी0एम0 राहत (कैशलेस उपचार) योजना के जनपद स्तर क्रियान्वयन हेतु मोर्थ द्वारा तय किये गये बेस्ट प्रैक्टिसेस अपनाये जाने एवं राह-वीर योजना के सम्बन्ध में राजकीय चिकित्सालयों एवं मेडिकल कॉलेजों में सड़क सुरक्षा संबंधित गोष्ठी का आयोजन करते हुए मेडिकल एवं पैरा मेडिकल स्टाफ को जागरूक किया जाए एवं राह-वीरों के चिन्हित किये जाने की कार्यवाही की जाए।

Scanned with OKEN Scanner

दिवस	परिवहन विभाग	परिवहन निगम	पुलिस विभाग	समस्त निर्माण एजेंसियां (नोडल-लो0नि0वि0)	शिक्षा विभाग	चिकित्सा-स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग
						2- एन0सी0सी0. एन0एस0एस0, सिविल डिफेन्स एवं आपदा मित्रों को गोष्ठी में आमंत्रित करते हुए फर्स्ट रिस्पॉन्डर प्रशिक्षण प्रदान किया जाए।
आठवां दिवस	1- अन्डर एज ड्राइविंग एवं बिना लाइसेंस के वाहन चलाने वालें युवाओं के विरूद्ध प्रभावी प्रवर्तन कार्यवाही की जाए। 2- बिना बीमा के वाहन चलाने वालों के विरूद्ध प्रभावी प्रवर्तन कार्यवाही की जाए।	परिवहन निगम की बसों की प्रदूषण एवं अन्य जांच यथा-वाइपर, इंडिकेटर, बैक लाइट, हैडलाइट, खिड़की एवं दरवाजों में लगे हुए शीशे की जांच कर उन्हें ठीक हालत में किया जाए।	1- अन्डर एज ड्राइविंग एवं बिना लाइसेंस के वाहन चलाने वालें युवाओं के विरूद्ध प्रभावी प्रवर्तन कार्यवाही की जाए। 2- बिना बीमा के वाहन चलाने वालों के विरूद्ध प्रभावी प्रवर्तन कार्यवाही की जाए।	1- विभिन्न मार्गों को गढ्ढा मुक्त किये जाने हेतु मार्गों का निरीक्षण किया जाये तथा मार्गों को गढ्ढामुक्त किये जाने की कार्यवाही की जाये। 2- समस्त साइट बोर्ड की स्पष्ट दृश्यता हेतु वृक्षों/ झाड़ियों की छँटाई किया जाए।	विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में छात्रों, अध्यापकों एवं अभिभावकों के मध्य पुलिस / परिवहन विभाग के अधिकारियों के सहयोग से गोष्ठी/ सेमिनार का आयोजन किया जाए।	1- समस्त वाहन चालकों की राजकीय चिकित्सालयों में नेत्र एवं स्वास्थ्य जॉच किया जाए। 2- इमरजेंसी रिस्पॉन्स प्रोटोकॉल-एम्बुलेंस रिस्पॉन्स टाइम एवं पेशेन्ट हैण्डओवर टाइम की समीक्षा की जाए।
नौवां दिवस	1- दुपहिया वाहन पर तीन सवारी	परिवहन निगम के चालकों का ड्रंकन ड्राइविंग के	1- दुपहिया वाहन पर तीन सवारी	1- विभिन्न मार्गों पर पूर्व में स्थापित	स्कूली बच्चों के सुरक्षित आवागमन हेतु	iRAD मोबाइल एप के संबंध में समस्त जनपद

Scanned with OKEN Scanner

दिवस	परिवहन विभाग	परिवहन निगम	पुलिस विभाग	समस्त निर्माण एजेंसियां (नोडल-लो0नि0वि0)	शिक्षा विभाग	चिकित्सा-स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग
	वाहनों के विरूद्ध प्रभावी प्रवर्तन कार्यवाही करते हुये जागरूक किया जाए। 2- शीशों पर काली फिल्म लगे वाहनों के विरूद्ध प्रवर्तन कार्यवाही।	विरूद्ध ब्रेथ एनालाइजर से परीक्षण किया जाए।	वाहनों के विरूद्ध प्रभावी प्रवर्तन कार्यवाही करते हुये जागरूक किया जाए। 2- शीशों पर काली फिल्म लगे वाहनों के विरूद्ध प्रवर्तन कार्यवाही।	समस्त सड़क सुरक्षा साइन बोर्ड तथा रोड मार्किंग का निरीक्षण किया जाना तथा क्षतिग्रस्त साइन बोर्ड/रोड मार्किंग को पुर्नस्थापित करने की कार्यवाही 2-समस्त साइन बोर्ड की स्पष्ट दृश्यता हेतु वृक्षों/झाड़ियों की छँटाई किया जाए।	प्रदेश के समस्त ऐसे विद्यालयों, (बेसिक एवं माध्यमिक) जिनके स्वामित्व में स्कूली यान पंजीकृत हो अथवा जिन स्कूलों में निजी बसो में वाहन अनुबंधित हो उनमें विद्यालय परिवहन सुरक्षा समिति की बैठक का आयोजन करा लिया जाये और बैठकों का कार्यवृत्त जिला स्तरीय विद्यालय सुरक्षा समिति के सदस्य (जिला विद्यालय निरीक्षक/बेसिक शिक्षक अधिकारी) को प्राप्त कराया जाये।	के एन0आई0सी0 में नियुक्त District Roll Out Manager के साथ समन्वय स्थापित करते हुए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के कर्मियों द्वारा लम्बित सड़क दुर्घटनाओं के विवरण को एप पर फीड किये जाने की समीक्षा की जाए।

Scanned with OKEN Scanner

दिवस	परिवहन विभाग	परिवहन निगम	पुलिस विभाग	समस्त निर्माण एजेंसियां (नोडल-लो0नि0वि0)	शिक्षा विभाग	चिकित्सा-स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग
दसवां दिवस	1- मार्गों के किनारे अवैध रूप से खड़े वाहनों के विरूद्ध प्रभावी प्रवर्तन कार्यवाही। 2- ड्रंकन-ड्राइविंग के विरूद्ध विशेषकर रात्रि के समय परिवहन एवं पुलिस के अधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से प्रभावी प्रवर्तन कार्यवाही की जाए।	सभी बस चालकों का सामान्य स्वास्थ्य एवं नेत्र परीक्षण राजकीय चिकित्सालयों में कराया जाए।	1- मार्गों के किनारे अवैध रूप से खड़े वाहनों के विरूद्ध प्रभावी प्रवर्तन कार्यवाही। 2- ड्रंकन-ड्राइविंग के विरूद्ध विशेषकर रात्रि के समय परिवहन एवं पुलिस के अधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से प्रभावी प्रवर्तन कार्यवाही की जाए।	जनपद के समस्त अधिकारी कर्मचारी/ठेके दार का IRC-SP-55 के अनुसार वर्क जोन सेफ्टी के प्रावधानों के साथ सड़क सुरक्षा के अन्य महत्वपूर्ण बिन्दुओं को भी सम्मिलित करते हुए प्रशिक्षण दिया जाए। 2- दुर्घटना संभावित जंक्शनों एवं तिराहों/चौराहों का निरीक्षण कर आवश्यकतानु सार स्पीड कौमिंग मेजर्स यथा-साइनबोर्ड, स्टोप लाइन, जेब्रा क्रॉसिंग एवं रिफ्लेक्टर आदि की व्यवस्था	1- सभी स्कूली वाहनों के चालकों का सामान्य स्वास्थ्य एवं नेत्र परीक्षण राजकीय चिकित्सालयों में कराया जाए। 2- माध्यमिक एवं उच्च शिक्षण संस्थानों में संचालित (एन0एस0एस0/ एन0सी0सी0/ रोवर्स रेंजर / स्काउट गाइड) के विद्यार्थियों के माध्यम से जन-जागरूकता कार्यक्रम के साथ-साथ राह-वीर योजना एवं पी0एम0 राहत योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए।	1- सभी स्कूली वाहनों एवं बसों के चालकों का सामान्य स्वास्थ्य एवं नेत्र परीक्षण राजकीय चिकित्सालयों में कराया जाए। 2- मेडिकल कोलेजों एवं राजकीय चिकित्सालयों में पी0एम0 राहत योजना एवं राह-वीर योजना के सम्बन्ध में जागरूक किया जाए।

Scanned with OKEN Scanner

दिवस	परिवहन विभाग	परिवहन निगम	पुलिस विभाग	समस्त निर्माण एजेंसियां (नोडल-लो0नि0वि0)	शिक्षा विभाग	चिकित्सा-स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग
				सुनिश्चित की जाए।		
11 वां दिवस	इंक्त-ड्राइविंग के विरूद्ध विशेषकर रात्रि के समय परिवहन एवं पुलिस के अधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से प्रभावी प्रवर्तन कार्यवाही की जाए। 2- ऑटो रिक्शा, ई-रिक्शा, साईकिल रिक्शा, बस व टैक्सी चालकों के संगठन के माध्यम से उनकी बैठक बुलाकर उन्हें यातायात नियमों का पालन करने हेतु प्रेरित किया जाए।	परिवहन निगम के बस डिपो तथा बसों की स्वच्छता तथा बसों की फिटनेस का भौतिक सत्यापन क्षेत्रीय /सहा0 क्षेत्रीय प्रबन्धक स्तर से कराते हुए कार्यवाही किया जाना तथा कृत कार्यवाही को मुख्यालय प्रेषित की जाए।	इंक्त-ड्राइविंग के विरूद्ध विशेषकर रात्रि के समय परिवहन एवं पुलिस के अधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से प्रभावी प्रवर्तन कार्यवाही की जाए। 2- ऑटो रिक्शा, ई-रिक्शा, साईकिल रिक्शा, बस व टैक्सी चालकों के संगठन के माध्यम से उनकी बैठक बुलाकर उन्हें यातायात नियमों का पालन करने हेतु प्रेरित किया जाए।	सड़क निर्माण एवं अनुरक्षण कार्यों के दौरान अपनाए जा रहे रोड वर्क जोन सेफ्टी प्रावधानों का निरीक्षण कर बैरिकेडिंग, डायवर्जन, चेतावनी संकेतक एवं रात्रिकालीन दृश्यता की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।	रोड सेफ्टी क्लब के माध्यम से विद्यालय परिसर में प्रवेश के समय रोड सेफ्ट क्लबों द्वारा बिना हेलमेट तथा ड्राइविंग लाइसेंस के विद्यार्थियों एवं अभिभावकों की जांच करते हुए उनकों सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक किया जाए।	1-समस्त वाहन चालकों की राजकीय चिकित्सालयों में नेत्र एवं स्वास्थ्य जांच किया जाए। 2-सर्वाधिक दुर्घटना मृत्यु वाले ब्लैक स्पॉट चिन्हित करते हुए उन मार्गों पर स्थित निकटतम ट्रामा सेन्टर एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों का सड़क सुरक्षा की दृष्टि से सुदृढीकरण एवं ए0एल0एस0 एम्बुलेंस की पुनस्थापना की कार्यवाही की जाए।

Scanned with OKEN Scanner

दिवस	परिवहन विभाग	परिवहन निगम	पुलिस विभाग	समस्त निर्माण एजेंसियां (नोडल-लो0नि0वि0)	शिक्षा विभाग	चिकित्सा-स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग
12 वां दिवस	1- मानक अनुसार रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप न लगे वाहनों के विरूद्ध प्रभावी प्रवर्तन कार्यवाही की जाए तथा टेप न लगे वाहनों में रेट्रोरिफ्लेक्टिव टेप लगाया जाए। 2- ऑटो रिक्शा, ई-रिक्शा, साईकिल रिक्शा, बस व टैक्सी चालकों के संगठन के माध्यम से उनकी बैठक बुलाकर उन्हें यातायात नियमों का पालन करने हेतु प्रेरित किया जाए।	निगम की बसों की फिटनेस की जांच कर कमियों को दूर किया जाए	1- मानक अनुसार रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप न लगे वाहनों के विरूद्ध प्रभावी प्रवर्तन कार्यवाही की जाए तथा टेप न लगे वाहनों में रेट्रोरिफ्लेक्टिव टेप लगाया जाए। 2- ऑटो रिक्शा, ई-रिक्शा, साईकिल रिक्शा, बस व टैक्सी चालकों के संगठन के माध्यम से उनकी बैठक बुलाकर उन्हें यातायात नियमों का पालन करने हेतु प्रेरित किया जाए।	iRAD/eDAR मोबाइल एप के संबध में समस्त जनपद District Roll Out Manager के माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर विभाग की लम्बित सडक दुर्घटनाओं के विवरण को एप पर फीड किया जाए।	माध्यमिक/उच्च शिक्षण संस्थानों3 में रोड सेफ्टी क्लब के माध्यम से नुक्कड नाटक का आयोजन किया जाए।	बेसिक तथा एडवांस्ड लाइफ सपोर्ट का प्रशिक्षण सभी मेडिकल छात्रों एवं पैरामेडिकल कार्मियों को दिया जाए।
13 वां दिवस	1- प्रदूषण जांच केन्द्रों	सडक सुरक्षा के दृष्टिगत वाहन	1- प्रदूषण जांच केन्द्रों	मार्गो पर स्थित पुलों,	माध्यमिक एवं उच्च शिक्षण	सभी अस्पतालों (चिकित्सा

Scanned with OKEN Scanner

दिवस	परिवहन विभाग	परिवहन निगम	पुलिस विभाग	समस्त निर्माण एजेंसियां (लोडल-लो0नि0वि0)	शिक्षा विभाग	चिकित्सा-स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग
	की चेकिंग व मानक से अधिक प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों की चेकिंग की जाए। 2- गलत दिशा में वाहन चलाने वालों के विरूद्ध प्रभावी प्रवर्तन कार्यवाही की जाए।	चालकों को रात्रि में हेड लाइट के हाई बीम/लो बीम के प्रयोग के संबंध में जागरूक किया जाए।	की चेकिंग व मानक से अधिक प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों की चेकिंग की जाए। 2- गलत दिशा में वाहन चलाने वालों के विरूद्ध प्रभावी प्रवर्तन कार्यवाही की जाए।	पुलियों, संकरे मार्गों एवं ब्लाइंड कर्व्स का निरीक्षण कर आवश्यक चेतावनी संकेतक, रिफ्लेक्टर एवं सुरक्षा उपाय सुनिश्चित किए जाएँ।	संस्थानों में गठित रोड सेफ्टी क्लब के माध्यम से 18 वर्ष से कम आयु वर्ग के विद्यार्थियों को वाहन न चलाये जाने तथा दो पहिया वाहन चालकों को हेलमेट अनिवार्य रूप से पहनने, स्टंटिग न करने, ओवर स्पीडिंग एवं वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग न करने के संबंध में विद्यार्थियों एवं अभिभावको को जागरूक किया जाए।	स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग) में दोपहिया एवं चार पहिया वाहन चालकों (मरीज एवं तीमारदार) का नेत्र एवं सामान्य स्वास्थ्य परीक्षण किया जाए।
14 वां दिवस	1- गलत दिशा में वाहन चलाने वालों के विरूद्ध प्रभावी प्रवर्तन कार्यवाही की जाए।	राह-वीर एवं पी0एम0 राहत योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए।	गलत दिशा में वाहन चलाने वालों के विरूद्ध प्रभावी प्रवर्तन कार्यवाही की जाए।	एक्सप्रेस-वे तथा राष्ट्रीय /राज्य राजमार्ग पर स्थित समस्त टोल प्लाजा पर लेन-ड्राइविंग तथा	सभी स्कूली वाहनों के चालकों का सामान्य स्वास्थ्य एवं नेत्र परीक्षण राजकीय चिकित्सालयों	सर्वाधिक दुर्घटना मृत्यु वाले ब्लैक स्पॉट विशेष कर पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे चिन्हित करते हुए उन मार्गों पर स्थित

Scanned with OKEN Scanner

दिवस	परिवहन विभाग	परिवहन निगम	पुलिस विभाग	समस्त निर्माण एजेंसियां (नोडल-लो0नि0वि0)	शिक्षा विभाग	चिकित्सा-स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग
	2- मानक अनुसार रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप न लगे वाहनों के विरूद्ध प्रभावी प्रवर्तन कार्यवाही की जाए तथा टेप न लगे वाहनों में रेट्रोरिफ्लेक्टिव टेप लगाया जाए।		2- मानक अनुसार रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप न लगे वाहनों के विरूद्ध प्रभावी प्रवर्तन कार्यवाही की जाए तथा टेप न लगे वाहनों में रेट्रोरिफ्लेक्टिव टेप लगाया जाए।	ओवरस्पीडिंग न करने एवं रॉंग साइड वाहन न चलाने हेतु वाहन चालकों को प्रशिक्षित किया जाना तथा सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक भी किया जाए। 2- मार्गो पर स्थित पुलों, पुलियों, संकरे मार्गो एवं ब्लाइंड कर्व्स का निरीक्षण कर आवश्यक चेतावनी संकेतक, रिफ्लेक्टर एवं सुरक्षा उपाय सुनिश्चित किए जाएँ।	में कराया जाए।	निकटतम ट्रामा सेन्टर एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों का सड़क सुरक्षा की दृष्टि से सुदृढ़ीकरण एवं ए0ए0एल0एस0 एम्बुलेंस की पुनर्स्थापना की कार्यवाही की जाए।
15 वां दिवस	जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में पखवाड़े का समापन समारोह का आयोजन किया जाए। समस्त कार्यवाही की दो हाई रिजोलूशन फोटोग्राफ के साथ संकलित सूचना विभागीय मुख्यालय को अगले दो कार्यदिवसों में उपलब्ध करायी जाए।					

Digitally signed by
AMRIT ABHIJAT
Date: 05-11-2026 19:10:52

(अमृत अभिजात)
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

Scanned with OKEN Scanner